उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-18/2024/आई/517401/2024-23-8001(099)/7/2023

लखनऊःदिनांक 12 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्यवीर, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ (मुख्यालय) को रोड सेफटी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (मुख्यालय) में तैनात किया जाता है।

2- संबंधित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर आख्या शासन तथा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को प्रेषित करते हुए उन्हें स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कराकर नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी।

7- सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-6 / 13

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**